



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227169
CG-DL-E-25052021-227169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1888]
No. 1888]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2028(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं 2290 (अ) के द्वारा बाइसिकिल-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को बाइसिकिल-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा किए गए प्रावधान को सुरक्षित रखते हुए, यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. अनुप्रयोग - 01 जनवरी, 2022 से, यह आदेश तालिका 1 और तालिका 2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान पर लागू होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. मानक की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

4. **अनुरूपता का प्रमाणपत्र** – तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-IV के अनुसार ब्यूरो की अनुरूपता प्रमाणपत्र के अंतर्गत उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी अनिवार्य आवश्यकता(ओं) के अनुरूप होंगे।
5. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** – तालिका-1 और तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
6. **उल्लंघन हेतु दंड** – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।

तालिका-1

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज	आईएस/आईएसओ 6742-2: 2015	साइकिल-लाइटिंग और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज – भाग 2 रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज

तालिका-2

वस्तु या सामान	अनिवार्य अपेक्षा	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
बाइसिकिल हेतु रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज की आवश्यकता	आईएस 10613:2014 का खंड 4.14	साइकिल - बाइसिकिल हेतु सुरक्षा आवश्यकता

नोट : तालिका-1 के प्रयोजन के लिए, उनके संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29014/3/2018-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2028(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order,2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide number* S.O.2290(E), dated the 7th July, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2021.

(2) Save as otherwise provided in this order, it shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application.- With effect from the 1st Jan,2022, this order shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table 1 and Table 2, but nothing herein shall apply to said goods or articles meant for export.

3. Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (1) of the Table 1 shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. Certificate of Conformity. - Goods or articles specified in the column (1) of the Table-2 shall conform to the corresponding essential requirement(s) given in the column (2) of the said table under a certificate of conformity from the Bureau as per Scheme-IV of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

5. Certification and Enforcement Authority.- In respect of the goods or articles specified in the column (1) of the Table-1 and Table-2, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.

6. Penalty for Contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11 of 2016).

TABLE 1

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Retro-reflective Devices	IS/ISO 6742-2:2015	Cycles-Lighting and Retro-Reflective Devices-Part 2 Retro-Reflective Devices

TABLE 2

Goods or article	Essential Requirement	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Requirement of Retro-Reflective Devices for Bicycles	Clause 4.14 of IS 10613: 2014	Cycles-Safety Requirements for Bicycles

Note : For the purposes of Table-1, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date as notified by the Bureau.

[F. No. P-29014/3/2018-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.